रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 2004/चैत्र 17, 1926
No. 181] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 2004/CHAITRA 17, 1926

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 256(अ).— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित कांडला पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) संशोधन विनियम 2004 का अनुमोदन करती है।

2 ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

अनुसूची

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल एतद्द्वारा कंडला पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) विनियम 1964 और तत्संबंधी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

भाग - 1

सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-**

(क). ये विनियम कंडला पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)संशोधन विनियम 2004 कहे जाएंगे ;

(ख). ये भारत के सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

3. **प्रयुक्ति :** (i) विद्यमान उप विनियम (3) की दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्द " वह " तथा " केन्द्रीय " शब्दों के बीच में " अध्यक्ष / " शब्द अन्तःस्थापित किया जाए ।

(ii) उप विनियम (3) के अन्त में आने वाले शब्द " जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा " को शब्द " जो उस पर निर्णय लेगा " द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

भाग - II

वर्गीकरण

6. **पदों का वर्गीकरण** : (विद्यमान विनियम 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए): बोर्ड के अधीन सभी पद निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत होंगे :-

श्रेणी I पद : वह पद जिनके वेतन या वेतनमान का अधिकतम रूपये 15,100/- से कम नहीं है ;

श्रेणी II पद : वह पद जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम रूपये 14,600/- से कम नहीं परन्तु रूपये 15,100/- से कम है :

श्रेणी III पद : वह पद जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम रूपये 7820/- है अथवा अधिक है परन्तु रूपये 14,600/- से कम है ;

श्रेणी IV पद : वह पद जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम रूपये 7820/- से कम है ।

यह वर्गीकरण 1 जनवरी, 1997 से प्रभावी होगा ।

टिप्पणी : दिनांक 1.1.1997 से लागू वेतन / मजदूरी संशोधन के कारण पदों के वर्गीकरण को भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया गया है । यह अभिपुष्टि की जाती है कि उस पर भूतलक्षी प्रभाव दिये जाने के कारण किसी के भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है ।

भाग - III

नियुक्ति प्राधिकारी :

7. विद्यमान विनियम जिस पर कोई संख्या नहीं है उसे 7 के रूप में क्रम संख्याकित किया जाए ।

भाग - IV

निलंबन

विद्यमान विनियम 9 को 8 के रूप में पुनः संख्याकित किया जाए तथा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

" 8. **निलंबन** :

(1). नियुक्ति प्राधिकारी अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा अध्यक्ष केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उसकी

तरफ से सशक्त किए गए किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा बोर्ड के कर्मचारी को तब निलंबित किया जा सकता है -

(क) जब उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात है अथवा लंबित हो, अथवा

(ख) जब पूर्वोक्त प्राधिकारी की राय में वह कर्मचारी स्वयं राज्य की सुरक्षा के हित के प्रतिकूल क्रियाकलापों में भाग लेता हो, अथवा

(ग) जब उसके विरुद्ध किसी दांडिक अपराध के बारे में कोई मामला अन्वेषण, जांच पड़ताल या परीक्षण के अधीन हो ।

(2). उपरोक्त प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा बोर्ड के कर्मचारी को निम्नवत् निलंबित किया गया माना जाएगा -

(क) यदि वह किसी आपराधिक आरोप अथवा अन्यथा के कारण अड़तालिस घंटों से अधिक अवधि तक अभिरक्षा में निरुद्ध हो तो उसके निरोध की तारीख से ;

(ख) यदि किसी अपराध में उसके दोष सिद्ध हो जाने पर उसे अड़तालिस घंटों से अधिक समय तक कारावास की सजा मिली हो और ऐसे दोष सिद्धि के परिणामस्वरूप उसे तत्काल बरखास्त अथवा सेवा से हटाया अथवा अनिवार्यरूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जाता तो उसके दोष सिद्ध हो जाने की तारीख से ।

स्पष्टीकरण : इस उप विनियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालीस घंटों की अवधि की गणना उस कर्मचारी के दोष सिद्धि के बाद कारावास की सजा प्रारंभ हो जाने पर की जाएगी और इस प्रयोजनार्थ कारावास की आन्तरायिक कालावधियाँ, यदि कोई हो तो, उन्हें भी गणना में लिया जाएगा ।

(3). जब निलंबन के अधीन किसी बोर्ड कर्मचारी पर अधिरोपित बरखास्तगी, सेवा से निकालने या अनिवार्य निवर्तन का दण्ड इन नियमों के अधीन अपील में अथवा पुनरीक्षण में अपास्त कर दिया जाता है और मामला आगे जांच अथवा कार्रवाई के लिए या किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ भेजा जाता है तो उसके निलंबन के आदेश, बरखास्तगी , सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य निवर्तन के मूल आदेश की तारीख को और उस तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे और अगले आदेशों तक प्रवृत्त रहेंगे ।

(4). जब किसी बोर्ड कर्मचारी पर अधिरोपित बरखास्तगी, सेवा से हटाए जाने अनिवार्य रूप से निवृत्त किए जाने का कोई दण्ड विधि न्यायालय के किसी निर्णय के परिणामस्वरूप या उसके अधीन अपास्त या शून्य घोषित कर दिया जाता है और अनुशासनिक प्राधिकारी उस मामले की परिस्थितियों पर विचार करके उसके विरुद्ध उन आरोपों पर, जिन पर बरखास्तगी , हटाए जाने या अनिवार्यतः निवृत्त किए जाने का दण्ड मूल रूप से अधिरोपित किया गया था, आगे जांच किए जाने का निर्णय करता है तो बोर्ड कर्मचारी को बरखास्तगी, सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य निवर्तन के मूल आदेश की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया समझा जाएगा और वह अगले आदेशों तक निलंबित रहेगा ।

परन्तु कि आगे ऐसी कोई जांच पड़ताल का आदेश नहीं दिया जाएगा बशर्ते कि ऐसी स्थिति का सामना करना आशयित हो जहाँ न्यायालय ने मामले के गुणागुण की जांच किए बिना, पूर्णतया तकनीकी आधार पर आदेश जारी किए हों ।

(5). (क).निलंबन का कोई भी आदेश जो इस विनियम के अधीन किया गया हो अथवा किया गया माना गया हो तब तक लागू माना जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधकारी द्वारा उसे आशोधित अथवा प्रातिसंहृत नहीं कर दिया जाता ।

(ख). जब बोर्ड कर्मचारी निलंबित किया गया हो अथवा निलंबित किया गया माना गया हो (चाहे वह किसी अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अन्यथा के संबंध में हो) और इस निलंबन में चालू रहने के दौरान उसके विरुद्ध अन्य कोई और अनुशासनिक कार्यवाही चालू की जाती है तो उसे निलंबन के अधीन रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी उन कारणों को स्वयं लिखित रुप में अभिलिखित करते हुए यह निदेश दे सकता है कि बोर्ड कर्मचारी उन समस्त अथवा ऐसी किसी कार्यवाही की समाप्ति तक निलंबन के अधीन बना रहेगा ।

(ग) निलंबन का कोई आदेश जो इन विनियमों के अधीन किया गया हो अथवा किया गया माना गया हो, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसने उसे दिया है या जिसके द्वारा दिया गया समझा गया है या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसका वह प्राधिकारी अधीनस्थ है, किसी समय आशोधित अथवा प्रतिसंहृत किया जा सकता है ।

भाग - V

अनुशासन

9. (i) विद्यमान विनियम 10 को 9 के रुप में पुर्न संख्याकित किया जाए

(2) द्वितीय पंक्ति के शब्द "अर्थात् " तथा चौदहवीं पंक्ति के शब्द "स्पष्टीकरण " के मध्य आने वाले विद्यमान दण्ड (i) से (vii) को हटा दिया जाए तथा उनके स्थान पर निम्नलिखित अन्त:स्थापित किये जाए :

छोटे दण्ड :

(i) परिनिन्दा;

(ii) उसकी प्रोन्नति रोकना;

(iii) आदेशों की अवहेलना या उनके उल्लंघन से बोर्ड को उसके द्वारा हुई किसी आर्थिक हानि के संपूर्ण या किसी भाग की उसके वेतन से वसूली ;

(iii)(क) किसी निचले स्तर पर किसी निचले समय वेतनमान में पदावनति जिसकी अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं और संचयी प्रभाव डाले बिना होगी तथा जो पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी;

(iv) वेतन वृद्धियाँ रोकना ;

भारी दण्ड:

(v) खंड (iii)(क) में यथा उपबंधित के सिवाय किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी निचले समय वेतनमान में निम्न स्तर में पदावनति जिसके साथ आगे ऐसे निदेश होंगे कि

क्या बोर्ड कर्मचारी ऐसी पदावनति की अवधि के दौरान की वेतनवृद्धि अर्जित करेगा अथवा नहीं और क्या ऐसी अवधि के समापन से उसकी भावी वेतनवृद्धियों को मुल्तवी रखे जाने पर प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं पड़ेगा ;

(vi). निम्न समय वेतनमान, श्रेणी, पद अथवा सेवा में पदावनति, जो बोर्ड कर्मचारी को जिस समय वेतनमान, श्रेणी, पद अथवा सेवा से पदावनत किया गया था उस पर प्रोन्नति से सामान्यत: वर्जित करेगी और यह बोर्ड कर्मचारी को जिस श्रेणी अथवा पद अथवा सेवा से पदावनत किया गया है उस पर उसके प्रत्यावर्तन और उस श्रेणी, पद अथवा सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन पर उसकी वरिष्ठता तथा वेतन की शर्तों से संबंधित आगे निदेश सहित अथवा उसके बिना होगा ;

(vii). अनिवार्य निवर्तन;

(viii). सेवा से हटाना, जो भविष्य में बोर्ड के अधीन नियुक्ति के लिए कोई निरर्हता नहीं होगी ;

(ix). सेवा से बरखास्तगी, जो साधारण तौर पर भविष्य में बोर्ड के अधीन नियुक्ति के लिए एक निरर्हता होगी ।

परन्तु कि ऐसे सभी मामलों में जहाँ किसी सरकारी कार्य को करने अथवा स्थगित रखने के आशय से अथवा पुरस्कार पाने के रूप में किसी व्यक्ति से विधिक पारितोषण के सिवाय कोई अन्य परितोषण प्राप्त करने का आरोप सिद्ध हो जाता है तो खंड (viii)अथवा खंड (ix) में उल्लिखित दण्ड अधिरोपित किया जाएगा ;

परन्तु आगे कि किसी अपवादिक मामले में और लिखित रूप में अभिलिखित विशेष कारणों के लिए कोई अन्य दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है ।

10. <u>अनुशासनिक प्राधिकारी</u> : (विद्यमान विनियम 11 को 10 के रुप में पुर्नसंख्याकित किया जाए)

निम्नलिखित को विनियम 11 के रुप में अंत:स्थापित किया जाए :

"11. <u>कार्यवाहियाँ संस्थित करने से संबंधित प्राधिकरण :</u>

(1) अध्यक्ष / केन्द्र सरकार अथवा उसके द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी निम्नलिखित कार्य कर सकता है :-

(क) बोर्ड के किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करना,

(ख) जो अनुशासनिक प्राधिकारी इन विनियमों के अधीन विनियम 9 में विनिर्दिष्ट कोई भी दण्ड अधिरोपित करने हेतु सक्षम है उस अनुशासनिक प्राधिकारी को बोर्ड के किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियाँ करने हेतु निदेश दे सकता है ।

(2) इन विनियमों के अधीन विनियम 9 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट कोई भी दण्ड अधिरोपित करने हेतु सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी इन विनियमों के अधीन पश्चातवर्ती कोई भी दण्ड अधिरोपित

करने हेतु सक्षम नहीं है वह बोर्ड के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध विनियम 9 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट कोई भी दण्ड अधिरोपित करने से संबंधित अनुशासनिक कार्यवाहियाँ संस्थित कर सकता है ।

12. **भारी दण्ड अधिरोपित करने के लिए कार्य विधि** : (विद्यमान विनियम 12 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए):

(1) यथासंभव इस विनियम तथा विनियम 13 में उपबंधित रीति से जब तक जांच नहीं कर दी जाती तब तक विनियम 9 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट कोई भी दण्ड अधिरोपित करने का आदेश नहीं दिया जाएगा ।

(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि बोर्ड के कर्मचारी के विरुद्ध कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के किसी लांछन की सच्चाई संबंधी जांच करने के आधार मौजूद है तो वह स्वयं जांच कर सकता है अथवा इस अधिनियम के अधीन, तत्संबंधी सच्चाई की जांच किए जाने हेतु कोई प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है.

स्पष्टीकरण : जब अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है तो उप विनियम (7) से उप विनियम (20) तथा उप विनियम (22) में जांचकर्ता प्राधिकारी संबंधी कोई भी संदर्भ अनुशासनिक प्राधिकारी के संदर्भ के रुप में माना जाएगा ।

(3) जब इस विनियम तथा विनियम 13 के अधीन बोर्ड के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई जांच प्रस्तावित है तब अनुशासनिक प्राधिकारी उसे निम्नलिखित रुप से तैयार करेगा अथवा तैयार करवाने का कार्य करेगा :-

(i) कदाचार अथवा दुर्व्यवहार संबंधी लांछन के सार को एक सुनिश्चित तथा सुस्पष्ट आरोप की मदों के रुप में ,

(ii) प्रत्येक आरोप की मदों के समर्थन में कदाचार अथवा दुर्व्यवहार संबंधी लांछन का एक ऐसा विवरण जिसमें निम्न बातें निहित होंगी :-

(क). बोर्ड के क्रमचारी द्वारा की गयी कोई स्वीकृति अथवा अपराध स्वीकरण सहित समस्त सुसंगत तथ्यों से युक्त एक विवरण ;

(ख). ऐसे दस्तावेजों की सूची जिनके द्वारा और ऐसे गवाहों की सूची जिनके द्वारा आरोप की मदों का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित हो।

(4). अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप की ऐसी मदों कीएक प्रति कदाचार अथवा दुर्व्यवहार संबंधी लांछन के विवरण तथा दस्तावेजों और गवाहों की सूची बोर्ड के कर्मचारी को देगा अथवा दिलवाने का कार्य करेगा जिनके द्वारा आरोप की प्रत्येक मद का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित हो और बोर्ड कर्मचारी को यथा विनिर्दिष्ट समय के अन्दर अपने बचाव में एक लिखित बयान प्रस्तुत करने और यह बताने कि अपेक्षा करेगा कि क्या वह अपनी व्यक्तिगत सुनवाई का इच्छुक है ।

(5). (क). बचाव का लिखित विवरण प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे आरोपों की जांच स्वंय कर सकता है जिनकी स्वीकृति नहीं दी गई है अथवा वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो उप

विनियम (2) के अधीन इस प्रयोजनार्थ कोई जांचकर्ता प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है और जहाँ बोर्ड के कर्मचारी द्वारा उसके बचाव के लिखित बयान में समस्त आरोप स्वीकृत कर लिए गए है तो अनुशासनिक प्राधिकारी जैसा वह योग्य समझे ऐसे सबूतों को ध्यान में लेते हुए प्रत्येक आरोप से संबंधित अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और विनियम 13 में निर्धारित रीति से कार्य करेगा ।

(ख). यदि बोर्ड के कर्मचारी द्वारा बचाव संबंधी कोई भी लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोप की मदों की जांच करेगा अथवा यदि वह आवश्यक समझे तो उप विनियम (2) के अधीन इस प्रयोजनार्थ कोई जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है ।

(ग). जब अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोप की किसी मद की जांच करता है अथवा ऐसे आरोप से संबंधित जांच पड़ताल करने के लिए जांच प्राधिकारी नियुक्त करता है तो वह आदेश द्वारा आरोप की मदों के समर्थन में बोर्ड के कर्मचारी अथवा विधिक व्यवसायी को जिसे "प्रस्तुतकर्ता अधिकारी" के रूप में जाना जाएगा, नियुक्त कर सकता है ।

(6). जब अनुशासनिक प्राधिकारी स्वंय जांच प्राधिकारी नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वह जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित अग्रेषण करेगा :-

(i). आरोप की मदों की एक प्रति तथा कदाचार अथवा दुर्व्यवहार संबंधी लांछन का विवरण

(ii). यदि बोर्ड के कर्मचारी द्वारा बचाव का कोई लिखित बयान दिया गया है तो उसकी एक प्रति

(iii). उप विनियम (3) में संदर्भित किए गए गवाहों के बयानों, यदि कोई हो तो, की एक प्रति

(iv). उप विनियम (3) में संदर्भित दस्तावेजों की बोर्ड के कर्मचारी को की गई सुपुर्दगी सिद्ध करने वाला सबूत

(v). "प्रस्तुतकर्ता अधिकारी" की नियुक्ति संबंधी आदेश की एक प्रति

(7). जांच प्राधिकारी द्वारा आरोप की मदों तथा कदाचार अथवा दुर्व्यवहार संबंधी लांछन का विवरण प्राप्त होने की तारीख से दस कार्य दिवसों के अन्दर अथवा जैसी जांच प्राधिकारी अनुमति दे ऐसी अतिरिक्त अवधि, जो दस दिनों से अधिक नहीं होगी, के अन्दर बोर्ड का कर्मचारी, जांच प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित नोटिस के रूप में विनिर्दिष्ट दिवस तथा समय पर उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा ।

(8). (क). बोर्ड का कर्मचारी, अपनी तरफ से मामला प्रस्तुत करने के लिए अन्य किसी ऐसे कर्मचारी की सहायता ले सकता है जो या तो उसके मुख्यालय पर अथवा जहां जाँच पड़ताल की जा रही है, उस जगह पर वहा किसी कार्यालय में तैनात है, परंतु इस प्रयोजनार्थ वह विधि व्यवसायी नियुक्त नहीं कर सकता जब तक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो या जब तक अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुमति न दे ।

परंतु कि बोर्ड का कर्मचारी ऐसे किसी अन्य बोर्ड कर्मचारी जो अन्य किसी स्टेशन पर तैनात है, की सहायता ले सकता है यदि जाँच प्राधिकारी जो मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसी अनुमति दे ।

टिप्पणी : बोर्ड का कर्मचारी ऐसे अन्य बोर्ड कर्मचारी की सहायता नहीं ले सकता जिसके पास ऐसे तीन (3) अनुशासनिक मामले लंबित है जिसमें उसे सहायता देनी है ।

(ख) बोर्ड का कर्मचारी अपनी तरफ से मामले को प्रस्तुत करने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन जैसी इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा यथा विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी सेवा निवृत्त बोर्ड कर्मचारी की सहायता भी ले सकता है ।

(9). बोर्ड के कर्मचारी ने यदि अपने स्वयं के बचाव के लिखित बयान में भी आरोप की कोई भी मद स्वीकार नहीं की है अथवा बचाव का कोई लिखित बयान नहीं प्रस्तुत किया है और वह जाँच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है, तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछ सकता है कि क्या वह दोषी है अथवा उसे अपना कोई बचाव करना है ? और यदि आरोप की किसी मद में वह दोषी होने का अभिवचन करता है तो जाँच प्राधिकारी ऐसा अभिवचन अभिलिखित करते हुए उस अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर बोर्ड कर्मचारी का हस्ताक्षर लेगा ।

(10). जाँच प्राधिकारी आरोप की उन मदों के संबंध में जिसमें बोर्ड कर्मचारी को दोषी ठहराया गया है, दोष के निष्कर्ष से संबंधित अभिमत देगा ।

(11). यदि बोर्ड कर्मचारी विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित नहीं होता है अथवा अभिवचन देने से इन्कार करता है अथवा नहीं करता है तो जाँच प्राधिकारी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करें जिनके द्वारा वह आरोप की मदें साबित करने का प्रस्ताव रखता है और ऐसा एक आदेश अभिलिखित करने के बाद मामले को तीस दिनों से अधिक नहीं, की अवधि के लिए रोक कर रखेगा ताकि बोर्ड का कर्मचारी अपने बचाव की तैयारी के प्रयोजनार्थ निम्नवत् कार्य कर सके :-

(i) उप विनियम (3) में संदर्भित सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को आदेश के पाँच दिनों के भीतर अथवा उस अतिरिक्त अवधि के भीतर जो पाँच दिनों से अधिक नहीं होगी और जैसी जाँच प्राधिकारी अनुमति दे, निरीक्षण करेगा ।

(ii) उसकी तरफ से जाँच किए जाने वाले साक्षियों की सूची प्रस्तुत करेगा ।

टिप्पणी : यदि बोर्ड का कर्मचारी उप विनियम (3) में संदर्भित सूची में विनिर्दिष्ट साक्षियों के बयानों की प्रतियों की आपूर्ति के लिए मौखिक अथवा लिखित रूप से आवेदन करता है तो जाँच प्राधिकारी उसे ऐसी प्रतियाँ यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत करेगा और जो हर हालत में अनुशासनिक प्राधिकारी की तरफ से गवाहों की परीक्षा चालू करने से तीन दिन पहले हो जानी चाहिए ।

(iii) ऐसे दस्तावेज जो बोर्ड के कब्जे में है परंतु उप विनियम (3) में संदर्भित सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, उन्हें आदेश के दस दिनों के भीतर अथवा दस दिनों से अधिक नहीं ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जैसी कि जाँच प्राधिकारी अनुमति दे, प्रकट करने अथवा प्रस्तुत करने की एक नोटिस देगा ।

टिप्पणी : बोर्ड कर्मचारी उसके द्वारा अपेक्षित ऐसे दस्तावेजों की सुसंगतता सूचित करेगा जो बोर्ड द्वारा प्रकट किए जाने अथवा प्रस्तुत किए जाने है ।

(12). जाँच प्राधिकारी दस्तावेजों के प्रकटीकरण अथवा प्रस्तुतीकरण संबंधी नोटिस प्राप्त होने पर उसे अथवा तत्संबंधी प्रतियाँ उस प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जिसकी अभिरक्षा अथवा कब्जे में दस्तावेज रखे गए हैं और साथ ही उससे यह अपेक्षा करेगा कि उस अध्यपेक्षा में यथा विनिर्दिष्ट तारीख को ये दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं ।

परन्तु कि जाँच प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसे दस्तावेज मामले से सुसंगत नहीं है तो वह लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से उस मांग को अस्वीकार कर सकता है ।

(13). उप विनियम (12) में निर्दिष्ट अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा अथवा कब्जे में मांगे गए दस्तावेज हैं, उन्हें जाँच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

परन्तु कि जिस प्राधिकारी की अभिरक्षा अथवा कब्जे में मांगे गए दस्तावेज हैं उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसे समस्त दस्तावेजों अथवा किसी दस्तावेज का प्रस्तुतीकरण लोक हित अथवा राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध हैं तो वह उन कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए जांच प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और इस प्रकार सूचित किए जाने पर जांच प्राधिकारी बोर्ड के कर्मचारी को उक्त जानकारी संसूचित करते हुए दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण अथवा प्रकटीकरण संबंधी अपनी मांग वापस ले लेगा ।

(14). जांच हेतु नियत तारीख को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अथवा उसकी तरफ से ऐसे मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जायेंगे जिनके द्वारा आरोप की पदे सिद्ध की जानी प्रस्तावित है । प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अथवा उसकी तरफ से गवाहों की परीक्षा की जाएगी और बोर्ड के कर्मचारी द्वारा अथवा उसकी तरफ से उनकी प्रति परीक्षा की जाएगी । प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि जिन मुद्दों पर गवाहों की प्रतिपरीक्षा की गई है उनमें से ही किसी के संबंध में पुन: परीक्षा करे परन्तु जांच प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी नये मामले में वह ऐसा नहीं कर सकता है । जांच प्राधिकारी जैसा ठीक समझे वैसे प्रश्न भी गवाहों के समक्ष रख सकता है ।

(15). अनुशासनिक प्राधिकारी की तरफ से यदि मामला बन्द करने से पूर्व यह आवश्यक प्रतीत हो तो जांच प्राधिकारी स्व विवेक में प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी को ऐसे सबूत, जो बोर्ड कर्मचारी की सूची में नहीं दिए गए हैं, प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है अथवा स्वयं नये सबूत मांग सकता है अथवा किसी गवाह को फिर से बुलाते हुए प्रति परीक्षा कर सकता है और ऐसे मामले में बोर्ड कर्मचारी को यदि वह चाहे तो प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त सबूतों की सूची की प्रति पाने तथा ऐसे नये सबूत प्रस्तुत किए जाने से पूर्व तीन दिनों तक जांच संबंधी स्थगन पाने का अधिकार होगा जिसमें स्थगन दिवस तथा जिस दिवस तक जांच स्थगित की गई है शामिल नहीं होंगे । जांच प्राधिकारी ऐसे दस्तावेजों को अभिलेख में लेने से पूर्व बोर्ड के कर्मचारी को उनका निरीक्षण करने का अवसर देगा । जांच प्राधिकारी की राय में

यदि बोर्ड के कर्मचारी द्वारा नये सबूतों का प्रस्तुतीकरण किया जाना न्याय के हित में आवश्यक समझा जाए तो वह उन नये सबूतों को प्रस्तुत करने की अनुमति देगा।

टिप्पणी - सबूत के किसी अन्तराल को भरने के लिए नये सबूत की अनुमति नहीं दी जा सकती अथवा मांगी जा सकती अथवा कोई गवाह फिर से बुलाया नहीं जा सकता । ऐसे सबूत केवल तभी मांगे जाएंगे जब मूल रूप से प्रस्तुत किए गए सबूत में कोई अन्तर्निहित कमी अथवा त्रुटि हो ।

(16). अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए मामला समाप्त हो गया हो तब बोर्ड कर्मचारी से अपेक्षित होगा कि अपने मौखिक अथवा लिखित रूप में, जैसा वह चाहें अपने बचाव में कहे । यदि मौखिक रूप से बचाव किया गया है तो उसे अभिलिखित किया जाए और बोर्ड कर्मचारी से उस अभिलेख पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित होगा । दोनों ही मामलों में बचाव के बयान की एक प्रति प्रस्तुतकर्ता अधिकारी , यदि कोई नियुक्त किया गया हो, को दी जाएगी ।

(17). तब बोर्ड कर्मचारी की तरफ से सबूत प्रस्तुत किए जायेंगे । बोर्ड कर्मचारी यदि चाहे तो स्वयं अपनी तरफ से उनकी जांच कर सकता है । बोर्ड कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत गवाहों की तब जाँच की जाएगी और तब वे अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए गवाहों को लागू उपबंधों के अनुसार जाँच प्राधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षा, पुनर्परीक्षा तथा परीक्षा के दायी होंगे ।

(18). यदि बोर्ड कर्मचारी ने मामले की जाँच स्वयं नहीं की है तो उसके द्वारा मामला बंद करने के बाद जाँच प्राधिकारी सबूत में बोर्ड कर्मचारी के विरुद्ध दीखनेवाली परिस्थितियों के बारे में सामान्य तौर पर उससे प्रश्न पूछ सकता है ताकि बोर्ड कर्मचारी उसके स्वयं के विरुद्ध सबूत में दीखनेवाली किसी परिस्थिति से संबंधित स्पष्टीकरण दे सके ।

(19). जाँच प्राधिकारी सबूतों का प्रस्तुतीकरण पूरा होने के बाद, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, यदि कोई नियुक्त किया गया हो तो उसे और बोर्ड कर्मचारी को सुनेगा अथवा यदि वे चाहें तो उन्हें अपने-अपने मामलों के सार लिखित रूप में दर्ज करवाने की अनुमति देगा ।

(20). जिस बोर्ड कर्मचारी को आरोप की मदों की प्रति सुपुर्द की गई है वह यदि बचाव का लिखित बयान उस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट तारीख को अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होता अथवा इस विनियम के उपबंधों का अनुपालन करने से अन्यथा चूक जाता है अथवा इनकार करता है तो जाँच प्राधिकारी यह जाँच एकपक्षीय रुप से कर सकता है ।

21. (क) जब विनियम 9 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट कोई भी दंड अधिरोपित कर ने हेतु सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी (परन्तु विनियम 9 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट कोई दंड अधिरोपित करने हेतु सक्षम नहीं है) ने किसी आरोप की मदों की स्वयं जाँच की है अथवा जाँच करवाई है और उस वह प्राधिकारी की अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखकर अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी जाँच प्राधिकारी के किसी निष्कर्ष संबंधी अपने निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह राय हो कि विनियम 9 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट दंड बोर्ड कर्मचारी पर अधिरोपित किये जा सकते हैं तो वह प्राधिकारी जाँच संबंधी अभिलेख उस अनुशासनिक प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जो अंतिम वर्णित दंड अधिरोपित करने हेतु सक्षम हो ।

(ख) जिस अनुशासनिक प्राधिकारी को इस प्रकार अभिलेख अग्रेषित किए जाएंगे वह अभिलेख में दिए गए सबूत के आधार पर कार्य करेगा अथवा उसकी राय में यदि न्याय के हित में किसी भी गवाह की अतिरिक्त जाँच अवश्यक हो तो वह उन गवाहों को फिर बुला सकता है और उनकी परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनर्परीक्षा कर सकता है और इन विनियमों के अनुसार जैसा वह ठीक समझे वैसा दंड बोर्ड कर्मचारी पर अधिरोपित कर सकता है ।

(22). जब कभी कोई जाँच प्राधिकारी जांच के समस्त सबूत अथवा उसके किसी भाग को सुनने तथा अभिलिखित करने के बाद तत्संबंधी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करता है और कोई ऐसा अन्य जाँच प्राधिकारी उसका स्थान लेता है जिसके पास ऐसी अधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है तो इस प्रकार स्थान पर आनेवाला जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती जांच प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किये गये अथवा आंशिक रुप से पूर्ववर्ती जांच प्राधिकारी द्वारा तथा आंशिक रूप से स्वयं के द्वारा अभिलिखित किए गए सबूतों के आधार पर कार्य कर सकता है ।

परन्तु कि यदि उत्तरवर्ती प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी ऐसे गवाह जिसका सबूत पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है उसकी अतिरिक्त जांच की जानी न्याय के हितों में आवश्यक है तो वह इसमें इसके पूर्व यथाउपबंधित ऐसे गवाह को फिर से बुलाते हुए उसकी परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनर्परीक्षा कर सकता है ।

(23). (i) जांच संबंधी निष्कर्ष के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) आरोप की मदें तथा कदाचार अथवा दुर्व्यवहार संबंधी लांछनों का विवरण ;

(ख) आरोप की प्रत्येक मद के संबंध में बोर्ड कर्मचारी का बचाव ;

(ग) आरोप की प्रत्येक मद में संबंधित सबूत का निर्धारण ;

(घ) आरोप की प्रत्येक मद संबंधी निष्कर्ष तथा तत्संबंधी कारण;

स्पष्टीकरण- यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच संबंधी कार्यवाहियों से आरोप की मूल मदों से भिन्न आरोप की कोई मद साबित होती है तो वह आरोप की ऐसी मदों पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

परन्तु कि आरोप की ऐसी मद तब तक अभिलिखित नहीं की जाएगी जब तक बोर्ड कर्मचारी ने जिन तथ्यों पर आरोप की ऐसी मद आधारित है स्वीकार न कर ले अथवा उसे आरोप की ऐसी मद के विरूद्ध अपने बचाव के समुचित अवसर न दे दिए जाए ।

(ii). जब जांच प्राधिकारी स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है तो वह अनुशासनिक प्राधिकारी को जांच के अभिलेख अग्रेषित करेगा जिनमें निम्न शामिल होंगे :-

(क) उसके द्वारा खंड (i) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट ।

(ख) बोर्ड के कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया लिखित बयान, यदि कोई हो तो,

(ग) जांच प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य,

(घ) जांच प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अथवा बोर्ड कर्मचारी द्वारा दाखिल किया गया लिखित पक्षपत्र, यदि कोई हो तो, और

(ङ) जांच के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी तथा जांच प्राधिकारी द्वारा तैयार किए गए आदेश, यदि कोई हो तो।

विनियम 13 के रूप में निम्नलिखित अन:स्थापित किया जाए :

" 13. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई :

(1) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है तो वह कारणों को उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित करने हेतु वह मामला आगे जांच और रिपोर्ट के लिए जांच प्राधिकारी को विप्रेषित करेगा और ऐसा होने पर जांच प्राधिकारी यथासंभव विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार आगे जांच सम्पन्न कराने हेतु कार्रवाई करेगा ।

(1.क) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच की कोई रिपोर्ट रखी गई है तो वह उसकी प्रति अग्रेषित करेगा अथवा करवायेगा अथवा जहां अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है तो वह जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट उस बोर्ड कर्मचारी को अग्रेषित करेगा अथवा करवायेगा, जिससे यह अपेक्षित होगा कि चाहे वह रिपोर्ट उसके पक्ष में हो अथवा न हो , उस पर ध्यान दिये बिना यदि वह ऐसा चाहे तो अपना लिखित अभ्यावेदन अथवा निवेदन 15 दिनों के अन्दर अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे ।

(1-ख). अनुशासनिक प्राधिकारी उप विनियम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट रीति से आगे बढ़ने से पूर्व बोर्ड कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो, पर विचार करेगा ।

(2). यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप की किसी मद के संबंध में जांच प्राधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होगा तो वह अपनी ऐसी असहमति के कारण अभिलिखित करेगा और इस प्रयोजनार्थ सबूत का अभिलेख ही यदि पर्याप्त होगा तो ऐसे आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(3). यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की आरोप की सभी मदों अथवा किसी एक मद से संबंधित अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह राय होगी कि विनियम 9 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट कोई भी दंड सरकारी कर्मचारी पर अधिरोपित किया जा सकता है तो वह विनियम 14 में निहित किसी बात के होते हुए भी ऐसा दंड अधिरोपित करने का आदेश दे सकता है ।

(4). आरोप की समस्त मदों अथवा किसी एक मद से संबंधित अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि विनियम 9 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट कोई भी दंड बोर्ड कर्मचारी पर अधिरोपित किया जा सकता है तो वह ऐसा दंड अधिरोपित करने से संबंधित आदेश दे सकता है और उसके लिए बोर्ड कर्मचारी को उस पर अधिरोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित दंड के संबंध में अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा ।

14 . छोटे दंड अधिरोपित करने के लिए क्रिया विधि : (विद्यमान विनियम 13 को 14 के रूप में पुन:संख्याकित किया जाए और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए)

" (1). विनियम 13 के उप विनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड कर्मचारी पर विनियम 9 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट कोई भी दंड अधिरोपित करने का कोई आदेश निम्नलिखित के पश्चात ही दिया जाएगा -

(क). बोर्ड कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रस्ताव और कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के लांछन जिन पर ऐसा किया जाना प्रस्तावित है की सूचना और उसे कोई ऐसा अभ्यावेदन देने, जैसा वह ऐसे प्रस्ताव के विरुद्ध देना चाहे, का समुचित अवसर देना ।

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले, जिनमें अनुशासनिक प्राधिकारी की राय में जांच आवश्यक हो उनमें विनियम 12 के उप विनियम (3) से (23) में निर्धारित रीति से जांच करवाना ।

(ग खंड (क) के अधीन बोर्ड कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो और खंड (ख) के अधीन रखा गया जांच अभिलेख , यदि कोई हो तो ,उन पर विचार करना ।

(घ) कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के प्रत्येक लांछन संबंधी निष्कर्ष अभिलिखित करना ।

(1-क) उप विनियम (1) के खंड (ख) में निहित किसी बात के होते हुए यदि किसी मामले में उक्त उप विनियम के खंड (क) के अधीन बोर्ड कर्मचारी द्वारा दिया गया अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो, उस पर विचार करने के बाद वेतनवृद्धि रोका जाना और वेतनवृद्धि के इस प्रकार रोके जाने से बोर्ड कर्मचारी को देय पेंशन की राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो अथवा वेतन वृद्धि को तीन वर्षों से अधिक अवधि तक रोका जाना अथवा किसी भी अवधि के संबंध में संचयी प्रभाव सहित वेतनवृद्धि रोका जाना प्रस्तावित हो तो बोर्ड कर्मचारी पर ऐसा दंड अधिरोपित करने से संबंधित आदेश पारित करने से पूर्व नियम 12 के उप विनियम (3) से (23) में निर्धारित रीति से जांच की जाएगी ।

(2). ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :-

(i) बोर्ड कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रस्ताव की सूचना की एक प्रति ;

(ii) उसे सुपुर्द किए गए कदाचार अथवा दुर्व्यवहार संबंधी लांछनों के विवरण की एक प्रति ;

(iii) उसका अभ्यावेदन ,यदि कोई हो तो ;

(iv) जांच के दौरान प्रस्तुत सबूत ;

(v) कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के प्रत्येक लांछन से संबंधित निष्कर्ष; और

(vi) उस मामले में आदेश, उसके कारण सहित ।

विनियम 15 के रुप में निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए :

"15. आदेशों की संसूचना : अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेशों की संसूचना बोर्ड कर्मचारी को दी जाएगी और उसे आरोप की प्रत्येक मद से संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष की प्रति भी दी जाएगी अथवा जहां अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है तो अनुशासनिक प्राधिकारी की असहमति यदि कोई हो तो, के संक्षिप्त कारणों सहित उसके निष्कर्षों का विवरण और उसके साथ जांच प्राधिकारी का निष्कर्ष तथा आयोग द्वारा यदि कोई सलाह दी गई हो तो उसकी भी एक प्रति और जहां अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं की हो तो ऐसी अस्वीकृति के कारणों का संक्षिप्त विवरण भी दिया जाएगा ।

16. संयुक्त जाँच :

(i) विद्यमान विनियम 14 को 16 के रूप में पुन:संख्याकित किया जाए ।

(ii) उप विनियम (1) और उप विनियम (2) के मध्य में निम्नलिखित टिप्पणी अन्त:स्थापित की जाए ।

टिप्पणी : यदि ऐसे बोर्ड कर्मचारियों पर सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारीगण भिन्न-भिन्न हैं तो सामान्य कार्यवाही में अनुशासनिक कार्यवाही करने से संबंधित आदेश ऐसे प्राधिकारियों से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अन्य सभी की सहमति से पारित किया जाएगा ।

(iii) उप विनियम (2) में शब्द विनियम 11 को शब्द " विनियम 10 " से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(iv) उप विनियम (2) (ii) में शब्द " विनियम 10 " को शब्द " विनियम 9 " से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(v) उप विनियम 2 (iii) में शब्द " विनियम 16 " को शब्द " विनियम 19 " से प्रतिस्थापित किया जाए ।

17. कतिपय मामलों में विशेष कार्य-विधि -

(i) विद्यमान विनियम 15 को 17 के रूप में पुर्नसंख्याकित किया जाए ।

(ii) द्वितीय पंक्ति में आने वाले शब्द " विनियम 12, 13 तथा 14 " को शब्द " विनियम 12 से 16 " से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(iii) ग्यारहवीं पंक्ति में आने वाले शब्द " योग्य" और बारहवीं पंक्ति में आनेवाले शब्द " " परन्तु " के बीच निम्नलिखित उपबंध अन्त:स्थापित किया जाए ।

" परन्तु कि इस मामले में इस विनियम 17 के खंड (1) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व बोर्ड कर्मचारी को उस पर अधिरोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित दण्ड के संबंध में अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाएगा । "

विनियम 18 के रूप में निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए :

" 18 राज्य सरकार आदि को उधार में दिए गए अधिकारियों के संबंध में उपबंध:

(1). जब बोर्ड के किसी ऐसे कर्मचारी, जिसकी सेवाएं एक विभाग से दूसरे विभाग को अथवा राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकरण या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण (इन विनियमों में इसके पश्चात उधारकर्ता प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट) को उधार दी गई हैं तो उस उधारकर्ता प्राधिकारी को ऐसे बोर्ड कर्मचारी को निलंबन के अधीन रखने के प्रयोजनार्थ नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अधिकार तथा उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ अनुशासनिक प्राधिकारी के अधिकार होंगे ।

परन्तु कि उधारकर्ता प्राधिकरण द्वारा उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकरण (इन विनियमों में इसके पश्चात् उधारदाता प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट) को उन परिस्थितियों से तत्क्षण सूचित किया

जाएगा जिनके परिणामस्वरुप यथास्थिति बोर्ड के उस कर्मचारी से संबंधित निलंबन के आदेश हुए हैं या अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ हुई है ।

(2) बोर्ड के कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्षों की दृष्टि से -

(i) यदि उधारकर्ता प्राधिकारी कि यह राय हो कि विनियम 9 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट कोई दण्ड बोर्ड के कर्मचारी अधिरोपित किया जाना चाहिए तो उधारदाता प्राधिकारी से परामर्श के पश्चात् उस मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसे आदेश आवश्यक समझे :

परन्तु कि सेवाएं उधार लेनेवाले प्राधिकरण और उधारदाता प्राधिकरण के बीच मतभेद होने की स्थिति में बोर्ड कर्मचारी की सेवाएं उधारदाता प्राधिकरण को वापस सुपुर्द की जाएगी :

(ii) यदि उधारकर्ता प्राधिकारी की यह राय हो कि बोर्ड कर्मचारी पर विनियम 9 की खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट कोई दण्ड अधिरोपित किया जाना चाहिए तो वह उसकी सेवाएं उधारदाता प्राधिकरण को वापस सुपुर्द करेगा और उसे जांच की कार्यवाहियाँ ऐसी कार्रवाई के लिए भेजेगा और इस पर उधारदाता प्राधिकारी, यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी है तो, वह तत्संबंधी ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे अथवा यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है तो वह मामला अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो उस मामले पर आदेश पारित करेगा जैसा वह आवश्यक समझे ।

परन्तु कि अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व विनियम 13 के उप विनियम (3), (4) के उपबंधो का अनुपालन करेगा ।

***स्पष्टीकरण** : अनुशासनिक प्राधिकारी उधारकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसे प्रेषित किये गये जांच अभिलेख पर इस खंड के अधीन अथवा ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात जैसा वह आवश्यक समझे, आदेश पारित करेगा जो यथासंभव विनियम 12 के अनुसार होगा ।"*

19. <u>बोर्ड द्वारा उधार लिए गए अधिकारियों के संबंध में उपबंध</u> : (विद्यमान विनियम 16 को 19 के रुप में पुर्नसंख्याकित किया जाए)

(i) उप विनियम (2) (i) में पहली तथा दूसरी पंक्तियों में आने वाले शब्द " विनियम 10 की मदें (i) से (ii) " को शब्द " विनियम 9 के खण्ड (i) से (iv)" से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(ii) उप विनियम (2) (i) में तृतीय पंक्ति में आने वाले शब्द " विनियम 12 के उप विनियम (2)" को " विनियम 13 के उप विनियम (3) तथा (4)" से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(iii) उप विनियम 2 (ii) में दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्द " विनियम 10 की मदें (iv) से (vii) " को शब्द " विनियम 9 के खण्ड (v) से (ix)" से प्रतिस्थापित किया जाए ।

भाग - VI

अपील

(विद्यमान विनियम 17, 18 तथा 20 हटा दिए जाएं तथा उनके स्थान पर निम्नलिखित विनियम 20 तथा 21 सम्मिलित किया जाए)

" 20. ऐसे आदेश जिनके विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी :

इस भाग में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी ।

(i). केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई आदेश.

(ii). निलंबन के आदेश से भिन्न अन्तर्वर्ती प्रकार अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निपटान से संबंधित सहायक कदम के प्रकार का कोई आदेश.

(iii). जांच की कार्रवाई के दौरान जांच प्राधिकारी द्वारा विनियम 12 के अधीन पारित किया गया कोई आदेश.

" 21. ऐसे आदेश जिनके विरूद्ध अपील होगी :

विनियम 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड का कोई कर्मचारी निम्नलिखित सभी आदेशों अथवा किसी आदेश के विरूद्ध अपील कर सकता है, अर्थात् -

(i). विनियम 8 के अधीन किया गया अथवा किया गया समझा गया निलंबन संबंधी कोई आदेश;

(ii). विनियम 9 में विनिर्दिष्ट दंडों में से कोई एक दंड अधिरोपित करने से संबंधित ऐसा आदेश जो चाहे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अथवा किसी अपीली अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो :

(iii). विनियम 9 के अधीन अधिरोपित किए गए किसी दण्ड को बढ़ानेवाला आदेश :

(iv) एक ऐसा आदेश जो -

(क) नियमों अथवा करार द्वारा विनियमित उसके वेतन, भत्ते , पेन्शन तथा सेवा की अन्य शर्तों से उसे वंचित रखता है अथवा जिसे उनके संबंध में अहितकर रूप में परिवर्तित किया गया हो; अथवा

(ख). ऐसे किसी नियम अथवा करार का उसके अहितकर रूप में निर्वचन किया गया हो ।

(v) एक ऐसा आदेश -

(क) उसके समय वेतनमान में दक्षतारोध पार करने में अनुपयुक्त होने पर उसे दक्षतारोध पर रोकना ।

(ख) किसी उच्चतर सेवा , ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे किसी कर्मचारी को दण्ड से भिन्न रूप में किसी निम्नतर सेवा , ग्रेड अथवा पद पर पदावनत करना ।

(ग) पेंशन कम करना अथवा रोकना अथवा नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन देने से इन्कार करना ।

(घ) निलंबन अवधि के लिए अथवा वह अवधि जिस दौरान उसे निलंबित समझा गया हो अथवा उसके किसी भाग के लिए उसे अदा होनेवाले जीवननिर्वाह अथवा अन्य भत्तों का निर्धारण करना ।

(च) उसके वेतन तथा भत्ते का निर्धारण होना -

(i) निलंबन अवधि के लिए , अथवा

(ii) सेवा से बर्खास्तगी , हटाये जाने अथवा अनिवार्य निवर्तन की तारीख से अथवा निम्नतम् सेवा, ग्रेड पद, समयमान अथवा समय वेतनमान के स्तर में कटौती की तारीख से उसकी सेवा, ग्रेड, अथवा पद पर उसके पुन:स्थापन अथवा प्रत्यावर्तन तक की तारीख की अवधि के लिए अथवा

(छ) यह निर्धारित करना कि क्या उसके निलंबन की तारीख अथवा उसकी बर्खास्तगी, सेवा से हटाये जाने, अनिवार्य निवर्तन अथवा निम्नतर सेवा, ग्रेड पद, समयमान अथवा वेतन समयमान के स्तर में कटौती की तारीख से उसकी सेवा, ग्रेड अथवा पद पर उसके पुन:स्थापन अथवा प्रत्यावर्तन तक की तारीख की अवधि किसी प्रयोजनार्थ ड्यूटी पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में मानी जाएगी अथवा नहीं ।

स्पष्टीकरण : इस विनियम में -

(i) "बोर्ड के कर्मचारी" शब्द में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जो बोर्ड की सेवा में न रह गया हो ।

(ii) "पेंशन" शब्द में अतिरिक्त पेंशन , उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल है ।

विद्यमान विनियम 19 को 22 के रूप में पुनर्संख्याकित किया जाए और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

"22. अपीली प्राधिकारी : (1) इन विनियमों की अनुसूची में जैसा विनिर्दिष्ट किया गया है । (2) ऐसा कोई भी बोर्ड कर्मचारी जो उसके दर्जे में अवनति ,हटाए जाने अथवा पदच्युत किए जाने वाले आदेश से पीड़ित है वह विनियम 23 में उल्लिखित समय के अन्दर और विनियम 24 निर्धारित प्रकार से अपील कर निम्नलिखित के समक्ष अपील कर सकता है -

(क) केन्द्र सरकार को यदि यह आदेश अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया हो ।

(ख) अन्य किसी मामले में अध्यक्ष को

परन्तु कि यदि आदेश पारित करने वाला व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में अपनी पश्चात्वर्ती नियुक्ति के फलस्वरूप उस आदेश के विरुद्ध अपील से संबंधित अपीली प्राधिकारी बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति वह अपील केन्द्र सरकार को अग्रेषित करेगा और अपील के संबंध में इस विनियम के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार को अपीली प्राधिकारी माना जाएगा ।

23. अपील के लिए परिसीमाकाल - (विद्यमान विनियम 21 को 23 के रूप में पुनर्संख्याकित किया जाए) ।

24. अपील का प्रारूप तथा अन्तर्वस्तु - (विद्यमान विनियम 22 को 24 के रूप में पुनर्संख्याकित किया जाए) ।

1185GI/04-5

(i). विद्यमान उप विनियम (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

" (2). अपील उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसे वह की जा रही है और अपीलार्थी द्वारा उसकी एक प्रति उस प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है । इसमें वे सभी तात्विक विवरण तथा तर्क निहित होंगे जिन पर अपीलार्थी को विश्वास है और उसमें किसी निरादरपूर्ण अथवा अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होगा तथा वह स्वत:पूर्ण होगी । "

(ii) उप विनियम (3) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाए :

" (3) वह प्राधिकारी, जिसने वह आदेश दिया था और जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उस अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे बिना किसी परिहार्य विलंब के और अपीली प्राधिकारी से किसी निर्देश मिलने की प्रतीक्षा किए बिना उस पर अपनी टिप्पणियाँ तथा सुसंगत अभिलेखों सहित उसे अपीली प्राधिकारी को प्रेषित करेगा । "

विद्यमान विनियम 23 हटा दिया जाए ।

25. अपील विधारित करना (विद्यमान विनियम 24 को 25 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए)

(i) विद्यमान उप विनियम (1)(ii) में शब्द "विनियम 22" को शब्द "विनियम 24" से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(ii) विद्यमान उप विनियम (1)(iii) में शब्द "विनियम 21" को शब्द "विनियम 23" से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(iii) उप विनियम (1)(iv) के नीचे दर्शाई गई शर्त में आनेवाले शब्द "विनियम 22" को शब्द "विनियम 24" से प्रतिस्थापित किया जाए ।

26. अपीलों का परीक्षण (विद्यमान विनियम 25 को 26 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए)

(i) विद्यमान उप विनियम (1) तथा (2) के शब्द "विनियम 24" को शब्द "विनियम 25" से प्रतिस्थापित किया जाए ।

27. अपीलों पर विचारणा : (विद्यमान विनियम 26 को 27 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए)

(i) विद्यमान उप विनियम (1) में आनेवाले शब्द "विनियम 9" को विनियम 8" से प्रतिस्थापित किया जाए,

(ii) विद्यमान उप विनियम (2) में आनेवाले शब्द "विनियम 10" को विनियम 9" से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(iii) विद्यमान शर्त (iii) में आनेवाले शब्द "विनियम 10 की मदे (iv) से (vii)" को शब्द "विनियम 9 के खंड (v) से (ix)" से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(iv) विद्यमान शर्त (iii) में आनेवाले शब्द "विनियम 15" को शब्द "विनियम 17" से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(v) विद्यमान शर्त (iii) की अंतिम चौथी पंक्ति में आनेवाले शब्द "धारित" तथा "और" के मध्य शब्द " विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार " अंत:स्थापित किया जाए ।

(vi) उप विनियम (3) को निम्नवत जोड़ा जाए :

"(3) विनियम 21 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में अपीली प्राधिकारी मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और साध्यापूर्ण समझे ।"

28. अपील में हुए आदेशों का कार्यान्वयन - (विद्यमान विनियम 27 को 28 के रुप में पुर्नसंख्याकित किया जाए) ।

भाग VII

पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

विनियम 29 के रुप में निम्नलिखित सम्मिलित किया जाए :

" 29. पुनरीक्षण :

(1). इन विनियमों में किसी बात के निहित होते हुए भी -

(i). केन्द्र सरकार; अथवा

(ii). अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट; अथवा

(iii). अपीली प्राधिकारी , पुनरीक्षण हेतु प्रस्तावित आदेश की तारीख से छः महीने के अन्दर , अथवा

(iv). बोर्ड द्वारा किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी और उस सामान्य अथवा विशेष आदेश में यथा निर्धारित समय के अन्दर किसी भी समय या तो उसकी या अपनी स्वप्रेरणा से अथवा अन्यथा किसी जांच के अभिलेख मंगा सकता है और इन विनियमों के अधीन अथवा विनियम 34 द्वारा निरस्त विनियमों के अधीन किया गया कोई ऐसा आदेश, जिससे किसी अपील की अनुमति हो परन्तु कोई अपील नहीं की गई हो अथवा जिससे कोई अपील किए जाने की अनुमति नहीं हैं, का पुनरीक्षण कर सकता है और -

(क) इस आदेश की पुष्टि, आशोधित अथवा अपास्त कर सकता है, अथवा

(ख) इस आदेश द्वारा अधिरोपित दण्ड को पुष्ट, घटाना बढ़ाना या अपास्त कर सकता है अथवा जहां कोई दण्ड अधिरोपित नहीं किया गया है वहां कोई दण्ड अधिरोपित कर सकता है, अथवा

(ग) यह मामला आदेश देनेवाले प्राधिकारी को अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को विप्रेषित करते हुए यह निर्देश दे सकता है कि आगे ऐसी जांच की जाए जैसी वह इस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, अथवा

(घ) अन्य ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिन्हें वह उपयुक्त समझे ।

परन्तु कि किसी भी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा तब तक दंड अधिरोपित करने का अथवा बढ़ाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है जब तक संबंधित बोर्ड कर्मचारी को प्रस्तावित दंड के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का समुचित अवसर न दिया जाए,और जहाँ विनियम 9 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट किसी भी दंड के अधिरोपण का अथवा आदेश द्वारा अधिरोपित दंड को बढाने का प्रस्ताव हो तो उन खंडों में

विनिर्दिष्ट किसी भी दंड के संबंध में उसे परिशोधित किया जाना चाहिए और यदि उस मामले में विनियम 12 के अधीन कोई जांच पहले ही नहीं की गई हो तो विनियम 17 के उपबंधों के अधीन रहते हुए विनियम 12 में निर्धारित प्रकार से जांच किये बिना ऐसा कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जा सकता ।

परन्तु कि तब तक अध्यक्ष, केंद्रला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पुनरीक्षण की किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक -

(i) वह प्राधिकारी जिसने अपील में बताया गया आदेश दिया था उसके अधीनस्थ हो,

(ii) वह प्राधिकारी जहाँ कोई अपील नहीं की गई है, अपील की जाएगी वह उसके अधीनस्थ हो

(2) पुनरीक्षण की कोई कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक -

(i) किसी अपील करने की सीमा की अवधि समाप्त न हो जाए अथवा ,

(ii) अपील किए जाने पर उस अपील का निपटारा न हो जाए,

(3) पुनरीक्षण के किसी आवेदन पर वैसी ही कार्रवाई की जाएगी जैसे कि वह इन विनियमों के अधीन की गई अपील हो.

30. पुनर्विलोकन: (विद्यमान विनियम 27 (क) को 30 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

" प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के संबंध में केन्द्र सरकार तथा तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के संबंध में अध्यक्ष किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से अथवा अन्यथा इन विनियमों के अधीन पारित किसी आदेश का तब पुनर्विलोकन कर सकता है जब पुनर्विलोकन के अधीन आदेश पारित करते समय कोई ऐसा नया तत्व अथवा सबूत प्रस्तुत नहीं किया जा सके अथवा उपलब्ध न हो जिससे मामले का प्रकार बदल सकता हो, मिला हो अथवा ध्यान में लाया गया हो ।

परन्तु कि केन्द्र सरकार अथवा अध्यक्ष द्वारा कोई दण्ड अधिरोपित करने अथवा दण्ड बढ़ाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित बोर्ड कर्मचारी को प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो अथवा जहाँ विनियम 9 में विनिर्दिष्ट कोई भारी दण्ड अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव हो या भारी दण्ड को पुनर्विलोकित करने के लिए आदेश द्वारा अधिरोपित छोटे दण्ड को बढ़ाने का प्रस्ताव हो और मामले पर विनियम 12 के अधीन कोई जांच यदि पहले नहीं की गई हो तो विनियम 17 के उपबंधों के अधीन रहते हुए विनियम 12 में अधिकथित रीति में जाँच करने के बाद ही कोई ऐसा दण्ड अधिरोपित किया जाएगा ।"

भाग - VIII

विविध

विनियम 31 के रूप में निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए :

" 31. आदेशों, नोटिसों आदि को तामिल करना :-

" इन विनियमों के अधीन पारित अथवा जारी किए गए प्रत्येक आदेश, नोटिस तथा अन्य कार्यवाही संबंधित बोर्ड कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया जाएगा ।"

विनियम 32 के रूप में निम्नलिखित सम्मिलित किया जाए :

" 32. समय सीमा को शिथिल करने और विलंब को माफ करने का अधिकार : " इन विनियमों में जैसा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय इन विनियमों के अधीन अधिकारी सक्षम है कि वह ठोस तथा पर्याप्त कारणों से आदेश कर सकता है अथवा यदि पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है तो इन विनियमों के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित किसी बात के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा बढ़ा सकता है और किसी विलंब को माफ कर सकता है ।"

विनियम 33 के रूप में निम्नलिखित सम्मिलित किया जाए :

" 33. अस्थायी उपबंध :- इन विनियमों के आरंभ से ही , और इन विनियमों के अधीन इन विनियमों और अनुसूची का प्रकाशन होने तक विद्यमान कंडला पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1964 की अनुसूची, समय समय पर यथासंशोधित के रूप में , बोर्ड कर्मचारियों के अपने अपने ऐसे प्रवर्गों, जिनमें वे इन विनियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले हैं, से संबंधित अनुसूची मानी जाएगी, और लागू होगी और ऐसी अनुसूची इन विनियमों के तत्समान विनियमों में संदर्भित सूची मानी जाएगी । "

34. निरसन और व्यावृति : (विद्यमान विनियम 28 को 34 के रूप में पुर्नसंख्याकित किया जाए और उसे निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए)

" (1) विनियम 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कंडला पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1964को एतद्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु कि -

(क). ऐसे निरसन से उक्त विनियमों अथवा आदेश के अधीन किए गए किसी पिछले कार्य अथवा तद्धीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ख). उक्त विनियमों के अधीन होनेवाली कोई कार्यवाही जो इन विनियमों के प्रारंभ के समय लंबित थी यथासंभव इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार चालू रखी जाएगी और निपटाई जाएगी मानो वे कार्यवाहियां उक्त विनियमों के अधीन की गई कार्यवाहियाँ हो ।

(2). इन विनियमों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि जिस व्यक्ति पर ये विनियम लागू होंगे उन्हें इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व प्रवृत नियमों , अधिसूचना तथा आदेशों के अधीन उसे दिए गए अपील संबंधी किसी अधिकार से वंचित रखा जाए ।

(3). इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व किए गए किसी आदेश के विरूद्ध लंबित अपील पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जाएगा और उस पर इस तरह आदेश दिए जाएंगे मानो इन विनियमों के अधीन अपील की गई है और ऐसे आदेश दिए गए है ।

(4). इन विनियमों के प्रारंभ होने के बाद यदि इसके प्रारंभ से पूर्व दिए गए किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील अथवा आवेदन किया जाता है तो उसे इन विनियमों के अधीन इस तरह प्रस्तुत किया जाएगा और बनाया जाएगा मानों ऐसे आदेश इन विनियमों के अधीन दिए गए है ।

परन्तु कि इन विनियमों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व प्रवृत किसी नियम द्वारा उप बंधित किसी अपील अथवा पुनरीक्षण के लिए किसी अवधि की परिसीमा घटाई जाए ।

35. संदेहों का निवारण :- (विद्यमान विनियम 29 को 35 के रूप में पुर्नसंख्याकित किया जाए).

कंडला पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2004

अनुसूची

क्रम संख्या	पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	दण्ड अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी		अपीली प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
I	महा पत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 24 की उपधारा (I) के खण्ड (क) में शामिल पद.	अध्यक्ष से परामर्श के बाद केन्द्र सरकार	अध्यक्ष केन्द्र सरकार	(i) से (iv) तक छोटे दण्ड सभी	केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार
II	श्रेणी 1 पद महा पत्तन न्यास अधिनियम,1963 की धारा 24 की उप धारा (I) के खण्ड (क) में शामिल पदों से भिन्न	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष अध्यक्ष	(i) से (iv) तक छोटे दण्ड सभी	अध्यक्ष केन्द्र सरकार
III	श्रेणी - II	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सभी	अध्यक्ष
IV	श्रेणी - III	विभाग प्रमुख	विभाग प्रमुख	सभी	उपाध्यक्ष
V	श्रेणी - IV	विभाग प्रमुख	विभाग प्रमुख	सभी	उपाध्यक्ष

[फा. सं. पी. आर.-12016/18/2002-पीई-1]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : (1) मूल विनियम असाधारण भारतीय राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 309 दिनांक 29.2.1964 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(2) सा.का.नि. संख्या 759 (ई) दिनांक 19.10.1994 द्वारा अनुवर्ती संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2004

G.S.R. 256(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with Sub-Section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees, (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2004 made by the Board of Trustees of Kandla Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in Official Gazette.

KANDLA PORT TRUST

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees for the Port of Kandla hereby makes the following amendments to the Kandla Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1964 and the Schedule thereto, namely:

PART- I

General

1. Short title and commencement:

(a) These regulations may be called the Kandla Port Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2004;

(b) They shall come into force from the date of publication of the Notification thereto in the official Gazette of India.

3. Application

(i) In the existing sub-regulation (3), the word, **"Chairman /"** be inserted between the words, " **the**" and "**Central**" appearing in the second line.

(ii) The words, "**whose decision thereon shall be final**" appearing at the end of sub-regulation (3), be substituted with the words, " **who shall decide the same**".

PART-II

Classification

6. Classification of posts: (Existing regulation 6 be substituted with the following):

All posts under the Board shall be classified as follows:

Class-I : Post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs.15,100/-;

Class-II	:	Post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs.14,600/- but less than Rs.15,100/-;
Class-III	:	Post carrying a pay or scale of pay with a maximum of Rs.7,820/- and above but less than Rs.14,600/-;
Class-IV	:	Post carrying a pay or scale of pay the maximum of which is less than Rs.7,820/-.

The classification will take effect from 1st January, 1997.

Note: The classification of the posts has been given retrospective effect due to the revision of Pay / Wages effective from 01.01.1997. It is affirmed that no one is likely to be adversely affected due to retrospective effect given thereto.

PART-III

Appointing Authorities

7. The existing regulation with no number be serial numbered as 7.

PART-IV

SUSPENSION

The existing regulation 9 be renumbered as 8 and substituted with the following:

"8. Suspension

(1) The appointing authority or any authority to which it is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf by the Chairman/Central Government, by general or special order, may place a Board employee under suspension-

(a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or
(b) where, in the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State; or
(c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.

(2) A Board employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of abovementioned authority-

(a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours;

(b) with effect from the date of his conviction, if, in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

EXPLANATION: - The period of forty-eight hours referred to in Clause (b) of this sub-regulation shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Board employee under suspension is set aside in appeal or on review under these Regulations and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force, on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Board employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a Court of Law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the Board employee shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders;

Provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the Court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case.

(5) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this Regulation shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(b) Where a Board employee is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise), and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the Board employee shall continue to be under suspension until the terminal of all or any of such proceedings.

(c) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate."

PART-V

DISCIPLINE

9. (1) Existing regulation 10 be renumbered as 9.

(2) Existing penalties (i) to (vii), appearing between the word, "**namely**" in the second line and the word, "**Explanation**" in the fourteenth line, be deleted and the following be inserted in their place:

"Minor Penalties

(i) Censure;
(ii) withholding of his promotion;
(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Board by negligence or breach of orders;
(iii) (a) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension;
(iv) withholding of increments of pay;

Major Penalties

(v) save as provided for in clause (iii) (a), reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Board employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vi) reduction to lower time scale of pay, grade or post which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Board employee to the time scale of pay, grade or post from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post from which the Board employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade or post;

(vii) compulsory retirement;

(viii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Board;

(ix) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Board.

Provided that in every case in which the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in Clause (viii) or Clause (ix) shall be imposed;

Provided further that in any exceptional case and for special reasons recorded in writing, any other penalty may be imposed."

10. Disciplinary Authorities: (Existing Regulation 11 be renumbered as 10).

Following be inserted as Regulation 11:

"11. Authorities to institute proceedings :

(1) The Chairman / Central Government or any other authority empowered by him/it by general or special order may-

(a) institute disciplinary proceedings against any Board employee

(b) direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against any Board employee on whom that disciplinary authority is competent to impose under these regulations any of the penalties specified in Regulation 9.

(2) A disciplinary authority competent under these regulations to impose any of the penalties specified in Clause (i) to (iv) of Regulation 9 may institute disciplinary proceedings against any Board employee for the imposition of any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Regulation 9 notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under these regulations to impose any of the latter penalties."

12. Procedure for imposing Major Penalties – (Existing Regulation 12 be substituted with the following.)

"(1) No order imposing any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Regulation 9 shall be made except after an inquiry held, as far as may be, in the manner provided in this regulation and Regulation 13.

(2) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a Board

employee, it may itself inquire into, or appoint under this regulation an authority to inquire into the truth thereof.

EXPLANATION, - Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in sub-regulation (7) to sub-regulation (20) and in sub-regulation (22) to the inquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against a Board employee under this regulation and regulation 13, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up -

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge;

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain -
  (a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the Board employee;
  (b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the Board employee a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article or charge is proposed to be sustained and shall require the Board employee to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and state whether he desires to be heard in person.

(5) (a) On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or, if it considers it necessary to do so, appoint under sub-regulation (2), an inquiring authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the Board employee in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in Regulation 13.

(b) If no written statement of defence is submitted by the Board employee the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge, or may, if it considers it necessary to do so, appoint, under sub-regulation (2), an inquiring authority for the purpose.

(c) Where the disciplinary authority itself inquiries into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding any inquiry into such charge, it may, by an order, appoint a Board employee or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority -

(i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(ii) a copy of the written statement of the defence, if any, submitted by the Board employee;

(iii) a copy of the statements of witnesses, if any, referred to in sub-regulation (3);

(iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-regulation (3) to the Board employee; and

(v) a copy of the order appointing the "Presenting Officer".

(7) The Board employee shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by the inquiring authority of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour, as the inquiring authority may, by notice in writing, specify, in this behalf, or within such further time, not exceeding ten days, as the inquiring authority may allow.

(8) (a) The Board employee may take the assistance of any other Board employee posted in any office either at his headquarters or at the place where the inquiry is held, to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose, unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or, the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits:

Provided that the Board employee may take the assistance of any other Board employee posted at any other station, if the inquiring authority having regard to the circumstances of the case, and for reasons to be recorded in writing so permits.

NOTE: The Board employee shall not take the assistance of any other Board employee, who has three (3) pending disciplinary cases on hand in which he /she has to give assistance.

(b) The Board employee may also take the assistance of a retired Board employee to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the Chairman in this behalf.

(9) If the Board employee, who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the Board employee thereon.

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the Board employee pleads guilty.

(11) The inquiring authority shall, if the Board employee fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the Board employee may, for the purpose of preparing his defence -

(i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list referred to in sub-regulation (3).

(ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf.

NOTE.- If the Board employee applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in sub-regulation (3), the inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case not later than three days before the commencement of the examination of the witnesses on behalf of the disciplinary authority.

(iii) give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow, for the discovery or production of any documents which are in the possession of Board but not mentioned in the list referred to in sub-regulation (3).

NOTE: - The Board employee shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the Board.

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition.

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in sub-regulation (12), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest or security of the State, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the Board employee and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of documents.

(14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross- examined by or on behalf of the Board employee. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the Board employee or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the Board employee shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the Board employee an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The inquiring authority may also allow the Board employee to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interests of justice.

NOTE.-New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally.

(16) When the case for the disciplinary authority is closed, the Board employee shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded, and the Board employee shall be required to sign the record. In either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

(17) The evidence on behalf of the Board employee shall then be produced. The Board employee may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the Board employee shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority.

(18) The inquiring authority may, after the Board employee closes his case, and shall, if the Board employee has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the Board employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any, appointed and the Board employee, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the Board employee to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this regulation, the inquiring authority may hold the inquiry *ex parte*.

(21) (a) Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in Clauses (i) to (iv) of Regulation 9 (but not competent to impose any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of regulation 9), has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of regulation 9 should be imposed on the Board employee, that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties.

(b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interests of justice, recall the witnesses and examine, cross- examine and re-examine the witnesses and may impose on the Board employee such penalty as it may deem fit in accordance with these Regulations.

(22) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises, such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself.

Provided that if the succeeding inquiry authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

(23) (i) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain-

(a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(b) the defence of the Board employee in respect of each article of charge;

(c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;

(d) the findings on each article of charge and reasons therefor.

EXPLANATION.- If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge:

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the Board employees has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include-

(a) the report prepared by it under Clause (i)

(b) the written statement of defence, if any, submitted by the Board employee;

(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;

(d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the Board employee or both during the course of the inquiry; and

(e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry."

The following be inserted as Regulation 13:

"13. <u>Action on the inquiry report</u>

(1). The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of Regulation 12, as far as may be.

(1-A) The disciplinary authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority or where the disciplinary authority is not the inquiring authority a copy of the report of the inquiring authority to the Board servant who shall be required to submit, if he so desires, his written representation or submission to the disciplinary authority within fifteen days, irrespective of whether the report is favourable or not to the Board employee.

(1-B) The disciplinary authority shall consider the representation, if any, submitted by the Board employee before proceeding further in the manner specified in sub-regulation (2) to (4).

(2) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge if the evidence record is sufficient for the purpose.

(3) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in Clauses (i) to (iv) of Regulation 9 should be imposed on the Board employee, it shall, notwithstanding anything contained in Regulation 14, make an order imposing such penalty.

(4) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Regulation 9 should be imposed on the Board employee, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the Board employee any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed."

14. Procedure for imposing Minor Penalties (Existing regulation 13 be renumbered as 14 and substituted with the following):

"(1) Subject to the provisions of sub-regulation (3) of Regulation 13, no order imposing on a Board employee any of the penalties specified in Clause (i) to (iv) of Regulation 9 shall be made except after -

(a) informing the Board employee in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;

(b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-regulation (3) to (23) of Regulation 12, in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary;

(c) taking the representation, if any, submitted by the Board employee under Clause (a) and the record of inquiry, if any, held under Clause (b) into consideration;

(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour.

(1-A) Notwithstanding anything contained in Clause (b) of sub-regulation (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the Board employee under Clause (a) of that sub-regulation, to withhold increments of pay and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the Board employee or to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-regulation (3) to (23) of Regulation 12, before making any order imposing on the Board employee any such penalty.

(2) The record of the proceedings in such cases shall include -

(i) a copy of the intimation to the Board employee of the proposal to take action against him;
(ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him;
(iii) his representation, if any;
(iv) the evidence produced during the inquiry;
(v) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and
(vi) the orders on the case together with the reasons therefor."

The following be inserted as Regulation 15:

"**15. Communication of Orders**

Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the Board employee who shall also be supplied with a copy of its finding on each article of charge, or where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority."

16. **Joint Enquiry**

(i) Existing Regulation 14 be renumbered as 16.

(ii) Note as under be inserted between sub-regulation (1) and sub-regulation (2):

NOTE: If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such Board employees are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.

(iii) In sub-regulation (2), the word, "**regulation 11**" be substituted with the word, "**regulation 10**".

(iv) In sub-regulation 2(ii), the word "**regulation 10**" be substituted with the word, "**regulation "9".**

(v) In sub-regulation 2(iii), the word, "**regulation 16**" be substituted with the word, "**regulation 19**".

17. Special Procedure in certain cases

(i) Existing Regulation 15 be renumbered as 17.

(ii) The words, "**regulations 12, 13 and 14**" appearing in the second line be substituted with the words, "**regulations 12 to 16**".

(iii) The following Provision be inserted in between the word, "**fit**" appearing in the eleventh line and the word, "**Provided**" appearing in the twelfth line:

"Provided that the Board employee may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in a case under Clause (i) of this Regulation 17".

Following be inserted as Regulation 18:

"**18. Provisions regarding officers lent to State Governments, etc.**

(1) Where the services of a Board employee are lent by one department to another department or to a State Government or an authority subordinate thereto or to a local or other authority (hereinafter in this regulation referred as " the borrowing authority"), the borrowing authority shall have the powers of the appointing authority for the purpose of placing such Board employee under suspension and of the Disciplinary Authority for the purpose of conducting disciplinary proceeding against him:

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the authority which lent the services of the Board employee (hereinafter in this regulation referred to as "the lending authority"), of the circumstances leading to the order of suspension of such Board employee or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding conducted against the Board employee-

(i) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in Clauses (i) to (iv) of Regulation 9 should be imposed on the Board employee, it may, after consultation with the lending authority, make such orders on the case as it deems necessary:

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the Board employee shall be replaced at the disposal of the lending authority;

(ii) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Regulation 9 should be imposed on the Board employee, it shall replace the services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the enquiry and thereupon the lending authority may, if it is the disciplinary authority, pass such orders thereon as it may deem necessary, or, if it is not the disciplinary authority, submit the case to the disciplinary authority which shall pass orders on the case as it may deem necessary:

Provided that before passing any such order the disciplinary authority shall comply with the provisions of sub-regulations (3), (4) of Regulation 13.

EXPLANATION.- The disciplinary authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted to it by the borrowing authority or after holding such further inquiry as it may deem necessary, as far as may be, in accordance with Regulation 12."

19. Provisions regarding officers borrowed by the Board (Existing Regulation 16 be renumbered as 19)

(i) In sub-regulation (2) (i), substitute the words, "**items (i) to (iii) of regulation 10**" appearing in the first and second lines with the words, "**clauses (i) to (iv) of regulation 9**";

(ii) In sub-regulation (2) (i), substitute the words, "**sub-regulation (2) of regulation 12**" appearing in the third line with the words, "**sub-regulation (3) and (4) of regulation 13**";

(iii) In sub-regulation (2) (ii), substitute the words, "**items (iv) to (vii) of regulation 10**" appearing in the second line with the words, "**clauses (v) to (ix) of regulation 9**".

PART-VI

Appeals

(Existing Regulations 17, 18, and 20 be deleted and in their place incorporate Regulation 20 and 21 as under)

"20. Orders against which no appeal lies.

Notwithstanding anything contained in this Part, no appeal shall lie against -

(i) any order made by the Central Government;

(ii) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid of the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension;

(iii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under Regulation 12."

"21. Orders against which appeal lies

Subject to the provisions of Regulation 20, a Board employee may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely:-

(i) an order of suspension made or deemed to have been made under Regulation 8;

(ii) an order imposing any of the penalties specified in Regulation 9 whether made by the disciplinary authority or by any appellate or revising authority;

(iii) an order enhancing any penalty, imposed under Regulation 9;

(iv) an order which-

(a) denies or varies to his disadvantage his pay, allowances, pension or other conditions of service as regulated by rules or by agreement; or

(b) interprets to his disadvantage the provisions of any such rule or agreement;

(v) an order-

(a) stopping him at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(b) reverting him while officiating in a higher grade or post, to a lower grade or post, otherwise than as a penalty;

(c) reducing or withholding the pension or denying the maximum pension admissible to him under the rules;

(d) determining the subsistence and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof;

(e) determining his pay and allowance-

(i) for the period of suspension, or

(ii) for the period from the date of his dismissal, removal or compulsory retirement from service, or from the date of his reduction to a lower grade, post, time-scale or stage in a time-scale of pay, to the date of his reinstatement or restoration to his grade or post; or

(f) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower grade, post, time-scale or pay or stage in a time-scale of pay to the date of his reinstatement or restoration to his grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose.

EXPLANATION.- In this Regulation -

(i) the expression *'Board employee'* includes a person who has ceased to be in Board service.

(ii) the expression '*pension*' includes additional pension, gratuity and any other retirement benefit."

Existing Regulation 19 be renumbered as 22 and substituted with the following:

"22. Appellate Authority - (1) As specified in the Schedule to these Regulations;

(2) Any Board employee, aggrieved by an order involving his reduction in rank, removal or dismissal, may within the time mentioned in regulation 23 and in the manner laid down in regulation 24, prefer an appeal -

(a) to the Central Government, where such order is passed by Chairman.
(b) to the Chairman in any other case.

Provided that where the person who has passed the order becomes by virtue of his subsequent appointment as the Chairman, the appellate authority in respect of the appeal against the order, such person shall forward the appeal to the Central Government and the Central Government in relation to that appeal shall be deemed to be the appellate authority for the purposes of this regulation."

23. Period of Limitation for Appeals (Existing Regulation 21 be renumbered as 23)

24. Form and contents of appeal (Existing Regulation 22 be renumbered as 24)

(i) Existing sub-regulation (2) shall be substituted with the following:

"(2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies, a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself."

(ii) The following be added as sub-regulation (3):

"(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the appellate authority."

Existing Regulation 23 be deleted.

25. Withholding of appeals (Existing Regulation 24 be renumbered as 25)

(i) In existing sub-regulation (1) (ii), the word "**regulation 22**" be substituted with the word, " **regulation 24**";
(ii) In existing sub-regulation (1) (iii), the word, "**regulation 21**" be substituted with the word, "**regulation 23**";
(ii) The word, "**regulation 22**" appearing in the condition below sub-regulation (1) (iv) be substituted with the word, "**regulation 24**".

26. Transmission of appeals (Existing Regulation 25 be renumbered as 26)

(i) In existing sub-regulation (1) and (2) the word, "**regulation 24**" be substituted with the word, "**regulation 25**".

27. Consideration of appeal (Existing Regulation 26 be renumbered as 27)

(i) The word, "**Regulation 9**" appearing in existing sub-regulation (1) be substituted with the word, "**regulation 8**";
(ii) The word, "**Regulation 10**", appearing in existing sub-regulation (2) be substituted with the word, "**regulation 9**";
(iii) The words, " **items (iv) to (vii) of regulation 10**" appearing in existing Condition (iii) be substituted with the words, " **clauses (v) to (ix) of regulation 9**";

(iv) The word, "**regulation 15**" appearing in existing Condition (iii) be substituted with the word, "**regulation 17**".

(v) In existing Condition (iii), the words, " **in accordance with the provisions of regulation 12**" be inserted between the words, " **held**" and "**and**" appearing in the fourth- last line.

(vi) Sub-regulation (3) be added as under:

"(3) In an appeal against any other order specified in regulation 21, the appellate authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable."

28. Implementation of orders in appeal (Existing Regulation 27 be renumbered as 28)

PART-VII

REVISION AND REVIEW

Following be incorporated as Regulation 29:

"**29. Revision**

(1) Notwithstanding anything contained in these regulations-

(i) the Central Government; or
(ii) the Chairman, Kandla Port Trust; or
(iii) the appellate authority, within six months of the date of the order proposed to be revised; or
(iv) any other authority specified in this behalf by the Board by a general or special order and within such time as may be prescribed in such general or special order;

may at any time, either on its or his own motion or otherwise call for the records of any enquiry and revise any order made under these Regulations or under the regulations repealed by Regulation 34 from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred or from which no appeal is allowed, and may -

(a) confirm, modify or set aside the order; or
(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty, where no penalty has been imposed; or
(c) remit the case to the authority which made the order to or any other authority directing such authority to make such further enquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or
(d) pass such other orders as it may deem fit.

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any revising authority unless the Board employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Regulation 9 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in those clauses, and if an inquiry under Regulation 12 has not already been held in the case no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in Regulation 12 subject to the provisions of Regulation 17.

Provided further that no power of revision shall be exercised by the Chairman, Kandla Port Trust, unless-

(i) the authority which made the order in appeal is subordinate to him; or

(ii) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred, is subordinate to him.

(2) No proceeding for revision shall be commenced until after -

(i) the expiry of the period of limitation for an appeal, or
(ii) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred.

(3) An application for revision shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these Regulations."

30. Review : (Existing Regulation 27(A) be renumbered as 30 and substituted with the following)

"The Central Government in respect of Class-I and Class-II and the Chairman in respect of Class-III and Class-IV employees of the Board, may, at any time, either on its or his own motion or otherwise, review any order passed under these Regulations, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought to its or his notice;

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the Central Government or the Chairman unless the Board's employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed or where it is proposed to impose any of the major penalties specified in Regulation 9 or to enhance the minor penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the major penalties and if an enquiry under Regulation 12 has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after inquiring in the manner laid down in Regulation 12, subject to the provisions of Regulation 17."

PART-VIII

MISCELLANEOUS

The following be inserted as Regulation 31:

"31. Service of Orders, Notices, etc.

Every order, notice and other process made or issued under these regulations shall be served in person on the Board employee concerned or communicated to him by registered post."

The following be incorporated as Regulation 32:

"32. Power to relax time-limit and to condone delay

Save as otherwise expressly provided in these regulations, the authority competent under these regulations to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time limit specified in these regulations for anything required to be done under these regulations or condone any delay."

The following be incorporated as Regulation 33:

"33. Transitory Provisions.- On and from the commencement of these regulations, and until the publication of these regulations and the Schedule under these regulations, the Schedule to the existing Kandla Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1964, as amended from time to time, shall be deemed to be the Schedule

relating to the respective categories of Board employees to whom they are, immediately before the commencement of these regulations, applicable and such Schedule shall be deemed to be the Schedule referred to in the corresponding regulations of these regulations."

34. Repeal and Saving.- (Existing Regulation 28 be renumbered as 34 and substituted with the following):

"(1) Subject to the provisions of Regulation 33, the Kandla Port Employees (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1964 are hereby repealed:

Provided that -

(a) such repeal shall not affect the previous operation of the said regulations, or any notification or order made, or anything done, or any action taken, thereunder;

(b) any proceedings under the said regulations, pending at the commencement of these regulations shall be continued and disposed of, as far as may be, in accordance with the provisions of these regulations, as if such proceedings were proceedings under these regulations;

(2) Noting in these regulations shall be construed as depriving any person to whom these regulations apply, of any right of appeal which had accrued to him under the rules, notification or orders in force before the commencement of these regulations.

(3) An appeal pending at the commencement of these regulations against an order made before such commencement shall be considered and orders thereon shall be made, in accordance with these regulations as if such orders were made and the appeals were preferred under these regulations.

(4) As from the commencement of these regulations any appeal or application for review against any orders made before such commencement shall be preferred or made under these regulations, as if such orders were made under these regulations:

Provided that nothing in these regulations shall be construed as reducing any period of limitation for any appeal or review provided by any rule in force before the commencement of these regulations."

35. Removal of doubts: (Existing Regulation 29 be renumbered as 35)

KANDLA PORT EMPLOYEES (CLASSIFICATION, CONTROL & APPEAL) AMENDMENT REGULATIONS, 2004

SCHEDULE

S.No.	Description of Post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalty		Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
I	Posts covered by clause (a) of sub-section (1) of Section 24 of Major Port Trusts Act, 1963.	Central Government after consultation with the Chairman	Chairman Central Government	(i) to (iv)- Minor Penalties All	Central Government Central Government

1	2	3	4	5	6
II	Class I posts (other than those covered by clause (a) of Sub Section (1) of Section 24 of Major Port Trusts Act, 1963	Chairman	Deputy Chairman Chairman	(i) to (iv)- Minor Penalties All	Chairman Central Government
III	Class II	Deputy Chairman	Deputy Chairman	All	Chairman
IV	Class III	Head of Department	Head of Department	All	Deputy Chairman
V	Class IV	Head of Department	Head of Department	All	Deputy Chairman

[F. No. PR-12016/18/2002-PE-I]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

Foot Note :- (1) Original Regulations were published in the Gazette of India Extra-Ordinary vide G.S.R.No.309 dated 29.2.1964.
(2) Subsequent amendments were made vide G.S.R.No.759 (E) dated 19.10.1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.